

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) UCO Bank has reported that 14 cases of fraudulent payments using forged drafts totalling Rs. 21,86,809,30 and one case of withdrawal against wrong debit involving Rs. 45,000/- only were detected in March 1990 at its Sector 17-B Branch, Chandigarh. The Bank has further reported that in connection with these payments the CBI registered a regular case on 28-11-90 against 3 Bank employees and 6 outsiders. UCO Bank has placed 4 employees under suspension.

Insurance at state expense

1055. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI BEKAJ UTSAHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any scheme under Government consideration for providing minimum insurance cover to every person against injury or death in a road accident, at state expense, even in case where it is a hit and run affair; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH) (a) and (b) There is no such scheme run on State expenses. However, victims of Hit and Run cases, against injury or death in a road accident, are compensated out of a Fund known as 'Solutium Fund' set up under the Motor Vehicles Act which is maintained and run by the General Insurance Corporation of India through its four subsidiary companies. The compensation payable in the event of death is Rs. 8,500/- and in the case of grievous hurt, it is Rs. 2,000/-.

उत्तर प्रदेश में बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

1056. श्री ईश इत यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश ऋणों की संजरी और माफी के संबंध में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और मुलतानपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों से की जा रही अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई छात्रवीन कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ङ) इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाये गये हैं; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है या किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इलबीर सिंह): (क) से (च) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और मुलतानपुर सहित देश के से विभिन्न भागों से ऋणों की संजरी, वितरण और ऋणों की माफी से संबंधित प्राप्त शिकायतों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कथित रूप से बरती जाने वाली अनियमितताओं को सरकारी क्षेत्र के संबंधित बैंक के साथ उपकारी कार्रवाई करने के लिए उठाया जाता है। जहां तक अशोध्य ऋणों को बढ़ते खाते डालने और हानियां तथा समझौता प्रस्तावों का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, को एसे मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए अपने विभिन्न अधिकारियों को शक्तियां प्रदायोजित करने के लिए कहा है। बैंक अपनी शाखाओं का आधिकारिक अन्तरालों पर निरीक्षण करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इन निरीक्षणों के